>

Title: Introduction of the Street Children (Rehabilitation and Welfare) Bill, 2009.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन निस्सहाय बालकों, जो कूड़ा बीनकर, भिक्षावृत्ति से, जूते पालिश करके, पॉटर के रूप में काम करके या सड़क के क्रासिंग या सार्वजनिक स्थानों पर करतब दिखाकर जीवन-यापन करते हैं, के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों और उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनका पुनर्वास करने और उन्हें उचित देख-रेख, संरक्षण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and welfare measures to be undertaken by the Union and the State Governments for the street children who subsist on rag picking, begging, shoe polishing, working as potters or performing acrobatics at road crossings or public places and for their rehabilitation by taking their custody and providing them due care, protection, education, vocational training and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।